

क्रमांक:प.16(1)वि.मा./2023

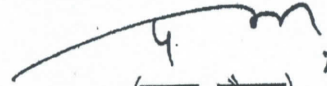
जयपुर, दिनांक 26 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान द्वारा पत्रांक एफ.4(2)(2)/नपा/रानिआ/2023/5354 दिनांक 19.12.2023 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ.4(2)(2)/नपा/रानिआ/2023/5471 दिनांक 26.12.2023 द्वारा राज्य के 8 जिलों की 8 नगरीय निकायों (सूची संलग्न) के उप चुनाव कराने हेतु चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है। इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्वारा घोषणा करते हैं कि राजस्थान के नगरीय निकायों के उक्त चुनाव हेतु मतदान होने की स्थिति में दिनांक 10.01.2024 (बुधवार) को संलग्न सूची के अनुसार मतदान क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में परक्राम्य लिखित अधिनियम (NI Act) 1881 के तहत अवकाश रहेगा, ताकि उस क्षेत्र के मतदाता मतदान कर सकें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पवन जैमन) 26.12.23

संयुक्त शासन सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ. 4(2)(2)नपा/रानिआ/2023/5559 दिनांक : 30.1.24
प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, दौसा, धौलपुर, डीडवाना-कुचामनसिटी/नागौर, पाली, एवं सवाईमाधोपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


(अंजू वर्मा)
सहायक सचिव